

समाहरणालय, समस्तीपुर
(जिला आपूर्ति प्रशाखा)
आदेश

इस जिला के लिए SECC जनगणना के आधार पर पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के व्यक्तियों की कुल संख्या 3677614 है, जिसमें से अन्त्योदय परिवारों के व्यक्तियों की संख्या 464871 घटाने पर पूर्विकताप्राप्त व्यक्तियों की संख्या 3212743 होती है।

सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2415/खाद्य दिनांक 10.04.2014 द्वारा माह अप्रैल, 2014 से मासिक प्राप्त आवंटन में पूर्विकताप्राप्त व्यक्तियों की संख्या 3653022 दर्शायी गयी है, जिसमें से अन्त्योदय परिवारों में व्यक्तियों की संख्या 464871 घटाने पर पूर्विकताप्राप्त व्यक्तियों की संख्या 3188151 दर्शायी गयी है। इस प्रकार जिला में पूर्विकताप्राप्त व्यक्तियों की कुल संख्या $(3677614 - 3653022) = 24592$ कम दर्शायी गयी है।

विभाग द्वारा अन्त्योदय व्यक्तियों की संख्या घटाकर पूर्विकताप्राप्त व्यक्तियों की संख्या 3188151 मानी गयी है, जिसके लिए कुल 63763.02 क्वि० गेहूँ एवं 95644.53 क्वि० चावल का आवंटन किया गया। इस प्रकार इस जिला के लिए 24592 कम व्यक्तियों का आवंटन प्राप्त हुआ है।

वर्णित स्थिति में विभाग से प्राप्त आवंटन के कॉलम नं० 08 एवं 09 को ही आधार मानकर सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिये SECC जनगणना के आधार पर पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या प्रखंडवार समानुपातिक रूप से घटाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के व्यक्तियों हेतु मई, 2015 के खाद्यान्न का उपावंटन, प्रखंडवार/शहरी क्षेत्रवार संलग्न तालिका के अनुसार किया जाता है।

सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 1236/खाद्य दिनांक 10.02.2015 के आलोक में माह मई, 2015 के खाद्यान्न का मूल्य जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से 28.02.2015 तक राज्य खाद्य निगम के खातों में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। खाद्यान्न उठाव की अवधि उपावंटन माह के पूर्ववर्ती माह की पहली तिथि से दिनांक 31.03.2015 तक निर्धारित की गयी है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के व्यक्तियों हेतु प्रति व्यक्ति 2 किलोग्राम गेहूँ एवं 3 किलोग्राम चावल की दर से कुल 5 किलोग्राम की दर से माह मई, 2015 के खाद्यान्न का मासिक आवंटन किया जाता है। गेहूँ का बिक्री दर 2/- रु० प्रति किलोग्राम एवं चावल का बिक्री दर 3/- रु० प्रति किलोग्राम होगा।

सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर जिला को आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ ही संलग्न उपावंटन तालिका के अनुसार आवंटित खाद्यान्नों को जन वितरण प्रणाली विक्रेतावार/पंचायतवार उपावंटन सूची बनाकर जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, समस्तीपुर को उपलब्ध कराते हुये उसकी प्रति जिला आपूर्ति कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर जिला को आदेश दिया जाता है कि आवंटित खाद्यान्न के विरुद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से शत प्रतिशत उठाव एवं वितरण कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि उठाव एवं वितरण संबंधी उपयोगिता प्रमाण-पत्र अगले माह की 05वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी
समस्तीपुर।

ज्ञापांक 439/आ०, दिनांक 23-03-2015

- प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- क्षेत्र प्रबंधक, भा०खा० निगम/ जिला प्रबंधक रा०खा० निगम, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- प्रधान प्रणाली विश्लेषक (वैज्ञानिक)-सह-सूचना पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिला के वेबसाईट पर आम लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध कराया जाए।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


जिलाधिकारी
समस्तीपुर।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत
पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के व्यक्तियों हेतु खाद्यान्न की उपावंटन सूची

(2 किलोग्राम गेहूँ, 3 किलोग्राम चावल प्रति-व्यक्ति की दर से)

जिला - समस्तीपुर

माह :-मई, 2015

(मात्रा क्विंटल में)

क्र० सं०	प्रखंड/शहरी क्षेत्र	SECC जनगणना के आधार पर पूर्विकताप्राप्त श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या	कम प्राप्त 184000 व्यक्तियों को प्रखंडवार पूर्विकता प्राप्त श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या से विभाजित करने पर	(3-4) के आधार पर शेष पूर्विकता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	अन्त्योदय परिवारों में व्यक्तियों की संख्या	शेष पूर्विकता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या से अन्त्योदय परिवारों के व्यक्तियों की संख्या घटाकर शेष पूर्विकताप्राप्त व्यक्तियों की संख्या (5-6)	उपावंटन 2 (दो) किलोग्राम गेहूँ एवं 3 (तीन) किलोग्राम चावल (कॉलम "7" के अनुरूप)		अभ्युक्ति
							गेहूँ	चावल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	समस्तीपुर शहर	38062	0	38062	2479	35583	711.66	1067.49	
2	समस्तीपुर प्रखण्ड	216689	1480	215209	30512	184697	3693.94	5540.91	
3	वारिसनगर प्रखण्ड	196539	1343	195196	22994	172202	3444.04	5166.06	
4	खानपुर प्रखण्ड	174307	1191	173116	20475	152641	3052.82	4579.23	
5	कल्याणपुर प्रखण्ड	298730	2041	296689	35575	261114	5222.28	7833.42	
6	पूसा प्रखण्ड	103576	708	102868	15321	87547	1750.94	2626.41	
7	ताजपुर प्रखण्ड	133085	909	132176	17938	114238	2284.76	3427.14	
8	मोरवा प्रखण्ड	164253	1122	163131	20577	142554	2851.08	4276.62	
9	सरायरंजन प्रखण्ड	220335	1505	218830	29004	189826	3796.52	5694.78	
10	रोसड़ा शहर	22867	0	22867	3839	19028	380.56	570.84	
11	रोसड़ा प्रखण्ड	150504	1028	149476	17703	131773	2635.46	3953.19	
12	शिवाजीनगर प्रखण्ड	163618	1118	162500	19585	142915	2858.30	4287.45	
13	बिथान प्रखण्ड	137374	938	136436	16165	120271	2405.42	3608.13	
14	हसनपुर प्रखण्ड	201340	1375	199965	24708	175257	3505.14	5257.71	
15	विभूतिपुर प्रखण्ड	293723	2006	291717	36191	255526	5110.52	7665.78	
16	सिंधिया प्रखण्ड	190397	1301	189096	22434	166662	3333.24	4999.86	
17	द० सराय शहर	16779	0	16779	3151	13628	272.56	408.84	
18	द० सराय प्रखण्ड	160630	1097	159533	23260	136273	2725.46	4088.19	
19	विधापतिनगर प्रखण्ड	136173	930	135243	17342	117901	2358.02	3537.03	
20	उजियारपुर प्रखण्ड	258968	1769	257199	32930	224269	4485.38	6728.07	
21	पटोरी प्रखण्ड	145225	992	144233	19905	124328	2486.56	3729.84	
22	मोहनपुर प्रखण्ड	92888	635	92253	12479	79774	1595.48	2393.22	
23	मोहिउद्दीनगर प्रखण्ड	161552	1104	160448	20304	140144	2802.88	4204.32	
	कुल योग -	3677614	24592	3653022	464871	3188151	63763.02	95644.53	

जिलाधिकारी
समस्तीपुर।

